भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, कुछ हफ्तों में हस्ताक्षर संभव

अमेरिकी राजदूत ने कहा-99 फीसदी मुद्दों पर सहमति

मुंबई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते में बचे हुए महज एक प्रतिशत विवादित मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

सिटी 2026 इंडिया कॉन्क्लेव में बुधवार को गोर ने कहा, हमारी एक व्यापारिक टीम इस समय भारत में ही है और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रही है। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का प्रारूप इस साल फरवरी में ही तैयार हो गया था। गोर ने कहा, इसमें 99 फीसदी मुद्दों पर सहमति बनी है। अब केवल एक प्रतिशत काम बाकी है, जिसे हम मिलकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के शीर्ष नेता इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप दे सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के पूरा होने से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई गति मिलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के शीर्ष वार्ताकारों ने प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार से मुंबई में तीन दिवसीय बैठक शुरू की है। इस बातचीत में अमेरिकी टीम का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि भारतीय पक्ष की कमान वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन के हाथों में है। ब्यूरो

सर्जियो गोर

60 अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर यूएस ने दी सफाई

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के मार्च 2026 में शुरू की गई धारा 301 जांच और उसके बाद भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर भी गोर ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लगाए गए टैरिफ वैश्विक स्तर पर लागू किए गए हैं और इनका उद्देश्य विशेष रूप से भारत को निशाना बनाना नहीं था। गोर ने कहा कि ये शुल्क यूरोपीय संघ, कनाडा, मेक्सिको से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया सहित एशिया के लगभग हर देश पर समान रूप से लागू किए गए हैं।

असैन्य परमाणु साझेदारी को गहरा करने के लिए अमेरिका तैयार : गोर ने यह भी कहा कि अमेरिका, भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग को गहरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका उद्देश्य भारत की तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना और आर्थिक विकास को रफ्तार देना है। उन्होंने सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के लिए अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र और व्यवसायों के निवेश पर जोर देते हुए इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद करार दिया।

सिक्स किंग वैभव की सफलता पर रिसर्च करेगा आईआईएम

इंदौर। एजेंसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) इंदौर ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अपनी केस स्टडी में शामिल करने का फैसला किया है। वैभव मॉडल पर आधारित यह देश की पहली मल्टी-डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इस विशेष अध्ययन में खेल, मनोविज्ञान और प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि इतनी छोटी उम्र में मिलने वाली असाधारण सफलता के सूत्रों को समझा जा सके। राजस्थान रॉयल्स के इस सलामी बल्लेबाज ने एक ही सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के जड़कर क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी इस हैरतंगेज बल्लेबाजी से पूरी खेल जगत प्रभावित है और इसी वजह से आईआईएम इंदौर अब उनके सबसेस फॉर्मूले को डिकोड करने की तैयारी में जुट गया है। आईआईएम के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने बताया कि यह स्टडी केवल वैभव की उपलब्धियों का विश्लेषण करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारकों को भी गहराई से समझेगी जो इतनी कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को आकार देने में मदद करते हैं।

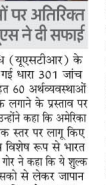

डार्क पैटर्न से कमाई...फिजिक्सवाला व मैकफी पर सीसीपीए ने लगाया जुर्माना

भ्रामक तरीकों से उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला पर पांच लाख व साइबर सुरक्षा कंपनी मैकफी सॉफ्टवेयर इंडिया पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई डार्क पैटर्न यानी ग्राहकों को गुमराह करने वाले तरीकों के इस्तेमाल पर की गई है। दोनों कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से भ्रामक तरीकों को तत्काल हटाने को कहा गया है।

फिजिक्सवाला की जांच में सीसीपीए ने पाया कि कोर्स खरीदते समय भुगतान राशि में पीडब्ल्यू फाउंडेशन के लिए 10 रुपये का दान उपभोक्ता की सहमति के बिना ही जोड़ दिया जाता था। दान हटाने की कोशिश पर उपभोक्ताओं को भावनात्मक संदेश दिखाए जाते थे, ताकि वे दान न हटाएं। वहीं, मुफ्त पाठ्यक्रम के नाम पर निजी डाटा भी मांगा जा रहा था। ब्यूरो

मैकफी पर इसलिए जुर्माना

मैकफी के सदस्यता नवीनीकरण सिस्टम में केवल रिन्यू नाउ व एक्सेप्ट रिस्क जैसे विकल्प दिए जा रहे थे। कोई तटस्थ विकल्प नहीं था। सदस्यता न बढ़ाना सुरक्षा के लिए जोखिम भरा है, कंपनी इसे साबित नहीं कर सकी। साथ ही रिन्यू नाउ बटन को अधिक प्रमुखता देकर उपभोक्ताओं को नवीनीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर 44 हजार विद्यार्थियों के आवेदन

साइबर हमलों के बावजूद सेवा जारी, 6 तक पूनर्मूल्यांकन

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए बुधवार दोपहर तक 44 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किया। बोर्ड के अनुसार, इनमें 4,924 आवेदन सत्यापन व 39,056 पुनर्मूल्यांकन के लिए हैं।

सीबीएसई ने बताया, पोर्टल पर भुगतान के लिए एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व इंडियन बैंक के पेमेंट गेटवे उपलब्ध हैं। इन बैंकों में खाता होना जरूरी नहीं है। उत्तर पुस्तिका सत्यापन-पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 2 जून से शुरू है। यह सुविधा उनके लिए है, जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त की है। पोर्टल 6 जून मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। ब्यूरो

सीबीएसई के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर साइबर हमलों की भी कोशिश हुई। डिनायल-ऑफ-सर्विस हमले के जरिये दो मिनट में 15 लाख हिट और एक लाख से अधिक अनधिकृत फाइल एक्सेस के प्रयास किए।

मुख्यमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक कार, 500 किमी रेंज

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्यप्रदेश के सीएम यादव का नया कदम

भोपाल। एजेंसी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन बचत को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक काफिले में अब अत्याधुनिक इलेट्रिक वाहन को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वे प्रदेश के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सरकारी उपयोग में इलेट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री के लिए हाल ही में नई इलेट्रिक एसयूवी उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग वे सरकारी कार्यक्रमों और आवागमन के दौरान करेंगे। यह वाहन एक बार चार्ज होने पर 500 किमी लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, जिससे ईंधन की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा।

नंबर प्लेट में छिपा है विशेष संदेश- मुख्यमंत्री की नई कार को मिला पंजीयन नंबर एमपी 02 वीबी 2047 भी विशेष महत्व रखता है। वाहन के नंबर में शामिल वीबी को विकसित भारत की अवधारणा से जोड़ा जा रहा है, जबकि 2047 स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक माना जा रहा है। इस माध्यम से सरकार ने विकास और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया है।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल- राज्य सरकार लगातार ऐसे उपायों पर जोर दे रही है, जिनसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़े। इलेट्रिक वाहन को मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल करना इसी दिशा में एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक कदम माना जा रहा है।

कई बार पेश की सादगी की मिसाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव दौरे के दौरान मितव्ययता का लगातार ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया। उससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान वे ट्रस्टिट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। बता दें, पहले सीएम डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है।

साइबर अपराध पर शिकंजा कसने 58 गांवों को निगरानी में रखा

गुरुग्राम। ए। हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 58 गांवों को निगरानी में रखा है और उनके सरपंचों को कानूनी नोटिस जारी कर साइबर अपराधियों को पनाह देने के खिलाफ चेतावनी दी है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को यह कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस द्वारा उन गांवों की पहचान किए जाने के बाद की गई, जो बार-बार ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट और ओएलएक्स से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े रहे हैं। इसने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी और उनकी मदद करने वाले नेटवर्क को नष्ट करेगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ग्राम स्तर पर जवाबदेही तय करने का फैसला किया है, क्योंकि पूरे जिले की छवि खराब हो रही है और नूंह अब साइबर अपराध के गढ़ के रूप में चिंचत हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चिह्नित गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि यदि वे साइबर अपराधियों को शरण या सहायता प्रदान करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चिह्नित किए गए अधिकतर गांव पुन्हाना, बिचोर और फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्रों में हैं।

राजस्थान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने खाया 'जहर'

ऑनलाइन 'ट्रोलिंग' और उत्पीड़न से थीं परेशान

जोधपुर। राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के मुद्दों पर वीडियो बनाने के लिए जानी जाने वाली 'कंटेंट क्रिएटर' अनीता बिश्नोई को बुधवार को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक जहरीला पदार्थ खा लिया था। उनके परिवार का दावा है कि ऑनलाइन 'ट्रोलिंग' और उत्पीड़न के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थीं। यह घटना बिश्नोई द्वारा सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करने के कुछ घंटों बाद हुई, जिससे उनके सोशल मीडिया फॉलोअर और रिश्तेदारों में चिंता पैदा हो गई। अपने पोस्ट में, बिश्नोई ने संकेत दिया कि शायद वह फिर कभी दिखाई न दें। बिश्नोई के फेसबुक पर करीब 13 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.45 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। उनके पति दिनाराम ने आरोप लगाया कि बिश्नोई को हफ्तों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पति के अनुसार, महिलाओं के पहनावे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनकी आलोचना और बढ़ गई। साथ ही कुछ सोशल मीडिया उपयोगकताओं और साथी इन्फ्लुएंसर की ओर से ही तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। अस्पताल में भर्ती बिश्नोई की हालत स्थिर बताई जा रही है।

इंदौर में 98% दूषित पानी के दावे से मचा बवाल

निगम ने खरीदी 42 लाख की हाईटेक जांच मशीन

इंदौर। एजेंसी। शहर स्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता को लेकर सियासत गरमा गई है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि शहर में 98 प्रतिशत दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। उनके अनुसार कांग्रेस ने 29 वार्डों में 200 से अधिक पानी के नमूनों की जांच कराई, जिसमें यह निष्कर्ष सामने आया। रिपोर्ट सामने आने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उन क्षेत्रों का दौरा किया, जहां जल गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कई स्थानों पर जल आपूर्ति के दौरान मौके पर पहुंचकर पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और स्वयं पानी पीकर उसकी जांच का दावा किया।

आदिवासी लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस प्रमुखों को नोटिस

नई दिल्ली। ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने ओडिशा और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को उन खबरों को लेकर नोटिस जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि देंकनाल जिले की 17 वर्षीय एक आदिवासी लड़की को झांसी में कथित तौर पर तस्करी करके बेचा गया और लगभग दो वर्षों तक उसका यौन उत्पीड़न किया गया। आयोग ने कहा कि पीड़िता और तीन अन्य लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर तस्करी करके ले जाया गया था। इसने एक बयान में कहा कि स्थानीय वकील की मदद से आदिवासी लड़की भागने में सफल रही और उसने झांसी पुलिस से संपर्क किया झांसी पुलिस से उसका बयान दर्ज किया गया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने ओडिशा के लिए ट्रेन टिकट उपलब्ध कराने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं की। बयान में कहा गया है कि लड़की की वापसी पर ओडिशा पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और मामले की जांच जारी है।

OFFICE OF CHIEF MUNICIPAL COUNCIL NARAYANPUR, DIST.- NARAYANPUR (C.G.)
Landline-07781-252278 Email- cmonarayanpur@rediffmail.com

No./1037/NPP/PWD/2026 NARAYANPUR, DATE 03.06.2026

E-Procurement Tender Notice

2nd Call

Online bids in three envelop system are invited for the following Construction works up to date 18.06.2026 at 17.30 Hours.

Sl. No.	Description	Cost of Tender (In Lacs)
1	Construction of Muktidham At Ward No. 10 Muriyapara (System Tender No. 192331)	24.50
2	Construction of Rahat Bhawan At Chihari para Ward No. 15 Dumartarai (System Tender No. 192312)	22.00

Note:-
1. The details can be downloaded online directly from the government of chhattisgarh e-procurement Portal - https://eproc.cgstate.gov.in form 03.06.2026 at 20.30 Hours.
2. For more details on the tender and biding process please visit the above mentioned portal.

Chief Municipal Officer
Municipal Council Narayanpur

पंजाब एण्ड सिंध बैंक | Punjab & Sind Bank
(भारत सरकार का उपक्रम) | (A Govt. of India Undertaking)

सार्वजनिक सूचना प्रारूप-1

सूचना: शून्य शेष वाले निष्क्रिय खातों को बंद करना।

यह सूचना उन खाताधारकों के लिए है जिनके खाते पिछले 8 वर्षों से निष्क्रिय रहे हैं, जिनमें पिछले 10 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है और जिनमें शेष राशि शून्य है।

खाता बंद होने से बचने के लिए, कृपया 20.07.2026 को या उससे पहले अपनी निकटतम पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा में अद्यतन केवाईसी दस्तावेज जमा करके अपने खाते को पुनः सक्रिय करें। उक्त तिथि तक सक्रिय नहीं किए गए खातों को, बिना किसी और सूचना के 21.07.2026 को या उसके उपरांत बंद कर दिया जाएगा।

आज्ञा से- शाखा प्रबंधक/पंजाब एंड सिंध बैंक

Annexure -I

PUBLIC NOTICE

NOTICE: CLOSURE OF INOPERATIVE ACCOUNTS WITH ZERO BALANCE

This notice is directed to account holders whose accounts have remained Inoperative for the last 8 years, with no customer-induced transactions for the last 10 years, and maintain a Zero Balance.

To avoid closure, please reactivate your account by submitting updated KYC documents at your nearest Punjab & Sind Bank branch on or before **20.07.2026**. Accounts not activated by this date will be closed on or after **21.07.2026** without further notice.

By Order- Branch Manager, Punjab & Sind Bank

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
ब्लॉक बी-1, पुजारी चेंबर, चपरपुरी नाका, रायपुर, फोन- 8889375554, 8458805424

नियम 8(1) कब्जा संबंधी नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित का (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को डिमांड नोटिस की तिथि एवं राशि नीचे दर्शायी गयी है, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने आगे किया गया। उधारकर्ताओं द्वारा उक्त राशि चुकाने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों को एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्नांकित दिनांक पर ले लिया है। इस संपत्ति के साथ लेनदेन न करने और इस पर वर्णित बकाया राशि के लिये भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा के निर्मित प्रभार के अध्यधीन होगा (मांग नोटिस दिनांक के बाद जमा की गई राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करके)। ***उधारकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचन (redeem) करने के संबंध में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।***

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग सूचना कब्जे की तिथि	बकाया राशि	संपत्ति का विवरण
1.	**उधारकर्ता- मेसर्स प्राइड कमर्शियल, प्रोप.- श्री संजय साव**	03.02.2026 30.05.2026	रू. 1,07,38,650.00 दि. 01.02.26 को + ब्याज एवं अन्य शुल्क दि. 02.02.26 से ऋण की अदायगी तक	संपत्ति का स्थानिज: श्री योगेश साव पिता श्री धनीराम साव नगुरूल भूमि एवं आवासीय भवन का समस्त भू.भाग स्थित प्लॉट नंबर 5/2, शीट नंबर 112, वीर सावरकर वार्ड नंबर 05, नया एन्टर नंबर 87 डी, भूखंड नंबर 2, गोड़ल्ला पखनगुडा, तहसील- जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.) में क्षेत्रफल -2556 वर्ग फीट (237.54 वर्ग मीटर). सेल डीड दिनांक 17.04.2012, खंड क्रमांक 5036, पृष्ठ क्रमांक 43-51, संख्या क्रमांक 136 (नगुलूर पट्टा नगरीनिकरण डीड दिनांक 12.06.2013, खंड क्रमांक 5450, पृष्ठ क्रमांक 18-24, संख्या क्रमांक 516), पंजीकरण उप जिला- जगदलपुर, जिला -बस्तर (छ.ग.) में क्षेत्रफल (**सरसई संपत्ति आईडी: 200057087835**). सीमाएँ (सेल डीड की दिनांक 17.04.2012 के अनुसार):-उत्तर: प्लॉट नंबर 5/1,5/3, दक्षिण: प्लॉट नंबर 3/1, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 4/2.
2.	**उधारकर्ता- 1) श्री मनोज कुमार नायर** पिता स्वर्गीय एन. के. नायर एवं **श्रीमती अर्चना नायर** पति श्री मनोज कुमार नायर, **उधारकर्ता- 2) मेसर्स नायर क्रिएशन इंफ्रस्ट्रैक्चर, प्रोप.- श्री अक्षिन नायर** पिता श्री मनोज कुमार नायर	18.11.2025 30.05.2026	रू. 89,38,675.00 (छत्तीसगढ़ ए के लिए) रू. 54,08,251.00 (छत्तीसगढ़ ए के लिए) **कुल रू. 1,43,46,926.00** दि. 17.11.25 को + ब्याज एवं अन्य शुल्क दि. 18.11.25 से ऋण की अदायगी तक	**संपत्ति क्रमांक 1)** संपत्ति का स्थानिज: श्री अक्षिन नायर पिता श्री मनोज कुमार नायर,संपत्ति का समस्त भू.भाग स्थित लेआउट प्लॉट 288, रन वेटी, आदिशक्ति कार्ड हेड परिवहित भूमि स्थित खसरा नं 2/8/3, ग्राम कुरंदी, प.ह नं 08, आरंगुरम कुरंदी, तहसील- जगदलपुर ,जिला- बस्तर (छ.ग.), क्षेत्रफल -0.26 हेक्टेयर. गिफ्ट डीड दिनांक 24.06.2020, पुस्तक क्रमांक 1, ग्रंथ क्रमांक 7331, पृष्ठ क्रमांक 370 से 395, विलेख क्रमांक 359, पंजीकरण उप जिला- जगदलपुर एवं जिला- बस्तर के अंतर्गत पंजीकृत। (**सरसई संपत्ति आईडी: 200026442984**). सीमाएँ (सेल डीड के अनुसार) :-उत्तर: कॉलोनी रोड, दक्षिण: पानिडाही की भूमि,पूर्व: सन सिटी लेआउट प्लॉट नंबर 287, पश्चिम: कॉलोनी रोड।
3.	**उधारकर्ता- मेसर्स न्यू सुपर तिरुमपति बालाजी प्रोजेक्ट कंपनी, प्रो.- श्री प्रवीण सिंह पिता श्री रूद्र नाइक, शाखा- रायपुर आवासीय, रायपुर (211910), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068**	08-08-2024 30-07-2025 06-12-24	रू. 40.00 लाख रू. 29,12,599.00 + दिनांक रू. 4.00 लाख	**संपत्ति क्रमांक 1) भूमि एवं भवन** - प्लॉट नं एस-180, खसरा नं 397/1 का भाग, प.ह नं 100, रायपुर विकास प्राधिकरण डी. खूबचंद बघेल राजधानी नगर योजना, पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 13, टुरामोर्ट नगर, नौका रायपाटा, जिला-रायपुर (छ.ग.) **बोजकल- 538 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक : मेसर्स न्यू सुपर तिरुमपति बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रो.- श्री प्रवीण सिंह पिता श्री रूद्र नारायण सिंह। सीमाएं:- उत्तर-भवन नं डब्लू 2-38, दक्षिण- रोडमैप, पूर्व- भवन नं एस-179, पश्चिम -भवन नं एस-182. भौगोलिक निर्देशांक: 21.316621,81.638938 **संपत्ति क्रमांक 2) भूमि एवं भवन** - प्लॉट नं एस-181, खसरा नं 397/1 का भाग, प.ह नं 100, रायपुर विकास प्राधिकरण डी. खूबचंद बघेल राजधानी नगर योजना, पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 13, टुरामोर्ट नगर, नौका रायपाटा, जिला-रायपुर (छ.ग.) **में बोजकल- 538 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक : मेसर्स न्यू सुपर तिरुमपति बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रो.- श्री प्रवीण सिंह पिता श्री रूद्र नारायण सिंह। सीमाएं:- उत्तर-भवन नं डब्लू 2-39, दक्षिण -रोडमैप, पूर्व- भवन नं एस-180, पश्चिम -भवन नं एस-182. भौगोलिक निर्देशांक: 21.316621,81.638936 **संपत्ति क्रमांक 1 एवं 2 संयुक्त रूप से बेची जाएगी।**
4.	**उधारकर्ता: मेसर्स कैपिटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पार्टनर्स. 1) श्रीमती मधु चौधरी** पति श्री अजित कुमार चौधरी, **2) विदित ट्रेडिंग प्रा. लि., निदेशक- श्री आजाद सिंह** पिता श्री अर्जुन सिंह, **जमानतदार:1) श्री सुभाष शर्मा** पिता श्री लोलेकर प्रसाद शर्मा, **2) श्रीमती मधु चौधरी** पति श्री अजित कुमार चौधरी, **3) मेसर्स विदित ट्रेडिंग प्रा. लि., 4) गंगा मैया कार्ड्स कंपनी (प्रो.- श्री सुभाष शर्मा), 5) श्री आजाद सिंह** पिता श्री अर्जुन सिंह **लि. में निदेशक), शाखा- फूल चौक, रायपुर, 324600. संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068**	कार्यालय इलाई नं - प्रथम तल, श्री राम आवास एवं व्यवसाय (आर एंड एम) सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर, खसरा नं 11/10 (पुराना-11/1 एवं 11/9), प.ह नं 113, वार्ड नं 43 (मदर टैरेसा वार्ड), **मौजा- पुरैना**, तहसील एवं जिला - रायपुर, छ.ग. में **सुपर बिल्ट अप क्षेत्र- 1519.00 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति**, मालिकाना हक- मेसर्स गंगा मैया फाइनेंस कंपनी, प्रो.- श्री सुभाष शर्मा। सीमाएँ:- उत्तर - चूहा, दक्षिण - अन्य की संपत्ति, पूर्व - चूहा, पश्चिम - अन्य की संपत्ति भौगोलिक निर्देशांक: 21.232000, 81.663028. ***नोट: एस.ए. क्रमांक 232/2015 संपत्ति के संबंध में लंबित हैं।**	10.07.2015 02.06.2024 01.12.15	रू. 71.33 लाख रू. 8,44,34,313.00 + दिनांक रू. 7.13 लाख
5.	**उधारकर्ता: श्रीमती उषा अग्रवाल** पति श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, **सह-उधारकर्ता श्री अतिश अग्रवाल पिता श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, शाखा: राजेंद्र नगर, रायपुर, 917200. संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय राम, 6207257725**	**आवासीय भूमि एवं मकान** - खसरा नं 437/6, प.ह नं 107/37, सुनील किराना स्टोर्स के पास, तेलीगांठे- पुरा किराना स्टोर्स, मौजा गोगांव, प्रीतम नगर, रायपुरा परम्परा वार्ड, आरआईसीसी रायपुर-1, रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल- 800 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री अतिश अग्रवाल पिता श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल.सीमाएं - उत्तर: प्रेम लाल साहू की भूमि, दक्षिण: राजपुरा ठाकुर की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: खुली भूमि। भौगोलिक निर्देशांक: 21.268885, 81.611696	10-06-2025 30-07-2025 01-02-23	रू. 29.26 लाख रू. 29,56,147.16 + दिनांक रू. 2.92 लाख
6.	**उधारकर्ता- श्रीमती बबीता अग्रवाल** पति श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल एवं **सह- उधारकर्ता- श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल** पिता श्री सत्यानारायण अग्रवाल, शाखा: देवेंद्र नगर, रायपुर - 748400. **संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय राम, 6207257725**	**आवासीय भूमि एवं मकान** - मकान नं 181 एवं 182, प्लॉट नंबर 02 व 03, जी.के. टाउनशिप, सेक्टर नंबर 3, खसरा नं 556 का भाग, प.ह. नं 90 (नया 20), रायपुर से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में, मौजा - **सिलतरा**, आरएनएस ब्रस्सीवी-1, तहसील एवं जिला- रायपुर में **क्षेत्रफल: 2700 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती बबीता अग्रवाल पति श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल.सीमाएं - उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य की संपत्ति (प्लॉट नंबर ए1), पूर्व: सड़क, पश्चिम: अन्य की संपत्ति,भौगोलिक निर्देशांक: 21.384028, 81.672556	11-01-2018 01-01-2018 11-05-18	रू. 40.87 लाख रू. 52,14,748.00 + दिनांक रू. 4.08 लाख
7.	**उधारकर्ता- श्रीमती डेवी सिंह** पति श्री वीरेंद्र नोहन सिंह, **सह-उधारकर्ता- श्री वीरेंद्र नोहन सिंह** पिता स्व. विश्वदेव प्रसाद सिंह, **जमानतदार: श्री. तुलसीराम फरकुडे** पिता स्व. श्रीराम फरकुडे एवं **श्रीमती बैनु बाई फरकुडे** पति श्री तुलसीराम फरकुडे, **शाखा- बेलेंद्र नगर, रायपुर (748400), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय राम, 6207257725**	**आवासीय भूमि एवं मकान**- खसरा नं 130/246 (540 वर्गफुट) एवं खसरा नं 130/274 का भाग (400 वर्गफुट), प.ह. नं 107/37, शहू किराना स्टोर के पास, बेलेंद्रनगर विद्यापीठ के पीछे, छोटा भवानी नगर, टीचर्स कॉलोनी, मौजा कोटा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्र. 02, रायपुर, आरएनएस रायपुर-2, तहसील एवं जिला - रायपुर, (छ.ग.) में 261.26316,81.608207, ***नोट: एस.ए. क्रमांक 94/2022 संपत्ति के संबंध में लंबित है।** सीमाएँ:उत्तर: रवि दुबे की भूमि, दक्षिण: सड़क, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: तिवारी एवं विक्रेता की भूमि; भौगोलिक निर्देशांक:	09-05-2021 31-03-2021 21-10-21 11-05-18	रू. 23.57 लाख रू. 29,67,029.34 + दिनांक रू. 2.35 लाख
8.	**उधारकर्ता - मेसर्स जैनम क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, निदेशकों -1) श्री महेंद्र मोतीलाल कोचर, 2) श्री अभय मोतीलाल कोचर, जमानतदारों: 1) श्री महेंद्र मोत